भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1337

30.07.2026 को उत्तर के लिए

प्रमाणन हेतु प्रमाण योजना

1337 **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वनों तथा वनों से बाहर के वृक्षों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस)-प्रमाण को क्रियान्वित किया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य और प्रमाणन श्रेणियां क्या हैं;

(ग) क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र क्या है, जिसमें भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद (आईएफडब्ल्यूसीसी), भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), प्रमाणन निकायों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और प्रमाणन निकायों की भूमिकाएं शामिल हैं;

(घ) योजना के शुभारंभ से लेकर अब तक राज्य वार कितने प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं; और

(ङ) योजना को अपनाने को बढ़ावा देने तथा प्रमाणित भारतीय काष्ठ एवं कृषि-वानिकी उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क)से(ङ): सरकार ने वन और वनों से बाहर के वृक्षों (टीओएफ) के संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर, 2023 में भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस) - प्रमाण चलाई है। यह योजना एक स्वैच्छिक, तृतीय पक्ष, बाजार-आधारित राष्ट्रीय प्रमाणन रूपरेखा है जिसका उद्देश्य संधारणीय वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, वनों से बाहर के वृक्षों का जिम्मेदार प्रबंधन और प्रमाणित वन और कृषि वानिकी उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्वीकार्यता को बेहतर बनाना है।

इस योजना का उद्देश्य वनों और वनों के बाहर के वृक्षों के संधारणीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, उत्पाद ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि इमारती लकड़ी, लकड़ी और काष्ठेतर वन उत्पाद कानूनी और संधारणीय स्रोतों से प्राप्त करना हों। यह योजना तीन श्रेणियों, यथा वन प्रबंधन (एफएम), वनों के बाहर के वृक्षों का प्रबंधन (टीओएमएफ) और अभिरक्षा श्रृंखला (सीओसी) के तहत प्रमाणन प्रदान करती है।

आईएफडब्ल्यूसीएस को भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन परिषद (आईएफडब्ल्यूसीसी) की देखरेख में एक श्रेणीबद्ध संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना संचालन एजेंसी के रूप में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), मानकों के विकास, प्रमाणन प्र ियाओं और हितधारक समन्वय को सुगम बनाता है। प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) योजना की आवश्यकताओं और स्थापित प्रत्यायन मानदंडों के अनुसार प्रमाणन निकायों को मान्यता देता है। प्रमाणन निकाय योजना की अपेक्षाओं के अनुसार आवेदकों द्वारा किए गए अनुपालन का आकलन करते हैं और प्रमाणन प्रक्रिया के सफल समापन पर प्रमाणन प्रदान करते हैं।

इस योजना के शुभारंभ के बाद से, यह प्रमाणन प्रक्रिया दो परियोजनाओं के लिए पूरी हो चुकी है, यथा, पहली परियोजना वन प्रबंधन और अभिरक्षा श्रृंखला के लिए आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित थी; और दूसरी निजी क्षेत्र से थी, हालांकि इसका वित्त पोषण वन प्रबंधन और अभिरक्षा श्रृंखला से बाहर के वृक्षों के लिए ओडिशा बांस विकास एजेंसी द्वारा किया गया था।

सरकार ने हितधारक परामर्श, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जागरूकता और प्रचार गतिविधियों, राज्य वन विभागों और उद्योग के साथ सहभागिता, और प्रमाणित वन और कृषि वानिकी उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के माध्यम से उपाय किए हैं ताकि योजना को और अधिक अपनाया जाए।
